

तारीख 12/02/2026 1243

मध्य प्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय भोपाल

12/02/2026

परिशिष्ट

भोपाल दिनांक 13/02/2026

File क्रमांक/No.: 1/ 0157/2025-ESTB-5-CTD /E -796956 : मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्र.एफ-Rev-6-0030-2023-Sec-7- सात भोपाल दिनांक 05 अक्टूबर 2023 द्वारा नवीन जिला मैहर का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/1/0004/2025-EMRS-CTD/E-472477 भोपाल दिनांक 14.07.2025 द्वारा नव गठित जिला मैहर के लिए जिला संयोजक कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति एवं जिला स्तर के कार्यालय प्रतिस्थापित किये जाने हेतु पदों का सृजन/पुनर्वितरण किया गया है। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/1/0013/2026-EMRS-CTD/E-1062644 भोपाल दिनांक 12.02.2026 द्वारा जिला संयोजक मैहर को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है।

2. नव गठित जिला मैहर हेतु कार्यालय संचालन की स्वीकृति/ पद सृजन की स्वीकृति /पुनर्वितरण एवं कार्यालय प्रमुख घोषित किये जाने उपरांत जिला कार्यालय के संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण कर अन्य आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 04 अनुसार स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री के.के. शुक्ला, क्षेत्र संयोजक	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला सतना	प्रभारी जिला संयोजक कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला मैहर
2	श्री कृष्ण बिहारी गौतम, सहायक ग्रेड-2	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला सतना	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला मैहर
3	श्री सनत कुमार प्रजापति, सहायक ग्रेड-3	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला सतना	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला मैहर
4	श्री अनिल दिनकर, सहायक ग्रेड-3	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला रीवा	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला मैहर
5	श्री बीरू रावे, भृत्य	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला रीवा	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला मैहर

3. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 के पैरा 9.6 एवं पैरा 10 अनुसार अस्थायी व्यवस्था अनुसार आगामी आदेश तक जारी किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
Radhe Shyam Verma
Date: 13-02-2026
19:23:44

(आर.एस.वर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

12/02/26